बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं०सं० – 15 / औ०–14–39 / 2022–...../स्वा० पटना, दिनांक – 2026

श्री शिव शकर कुमार, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, अररिया सम्प्रति औषधि निरीक्षक, पटना–06 को विभागीय पत्रांक–208(15), दिनाक–04.02.2021 द्वारा दिनांक–13.01.2014 के प्रभाव से प्रथम एम०ए०सी०पी० का लाभ की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबध मे वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार पटना द्वारा पत्राक–747(25), दिनाक–25.06.2021 के माध्यम से पृच्छा किया गया कि **"स्वास्थ्य विभाग का आदेश ज्ञापांक–208(15), दिनांक–04.02.2021 के द्वारा श्री शिव शंकर कुमार, औषधि निरीक्षक, अररिया के पक्ष में दिनांक–13.01.2014 से प्रथम एम०ए०सी०पी० ग्रेड पे०–4800 / – पी०बी० –02 स्वीकृत किया गया है। जबकि श्री कुमार द्वारा अंतिम विभागीय परीक्षा दिनांक–17.02.2017 को उतीर्ण किया गया है, साथ हीं श्री कुमार कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा उतीर्ण नहीं है। अतः श्री कुमार को विभागीय परीक्षा उतीर्ण होने के पूर्व तथा बिना कम्प्यूटर परीक्षा उतीर्ण किए हुए प्रथम एम०ए०सी०पी० अनुमान्य होगा या नहीं के संबंध में विभागीय मन्तव्य से अवगत कराया जाय, ताकि श्री कुमार के पक्ष में वेतन पुर्जा निर्गत किया जा सके।"**

2. उक्त के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से निम्नलिखित दो बिन्दुओं पर परामर्श प्राप्त की गई–

(i) श्री कुमार को बिहार औषधि नियंत्रण संवर्ग नियमावली, 2014 के अनुसार उनकी सेवा सम्पुष्टि विभागीय अधिसूचना संख्या–70(15), दिनांक–29 01.2018 के द्वारा विभागीय परीक्षा उर्त्तीण होने की तिथि से अर्थात दिनांक–17 02.2017 की तिथि से की गई है। जबकि वे कम्प्यूटर परीक्षा उतीर्ण नहीं है। यह सम्पुष्टि सही हैं अथवा गलत ?

(ii) विभागीय आदेश सख्या–208(15), दिनाक–04 02.2021 के द्वारा प्रथम एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान किया गया है, जिसमें देय तिथि–13.01.2014 है, जबकि श्री कुमार की सेवा सम्पुष्टि की तिथि – 17.02 2017 अंकित है। यदि उनका सम्पुष्टि सही है तो उनका प्रथम एम०ए०सी०पी० की देय तिथि–13.01.2014 होगा अथवा सम्पुष्टि की तिथि–17 02.2017 से देय होगा।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निम्न तथ्यों को अंकित करते हुए सचिका वापस की गयी–

" श्री कुमार की सेवा सपुष्टि की तिथि एव उनकी सेवा 10 वर्ष पूरी होने की तिथि को औषधि निरीक्षकों के लिए कोई सेवा / संवर्ग नियमावली प्रवृत्त थी या नही? इस सदर्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट हुए बिना सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा परामर्श दिया जाना उचित नही होगा।"

3 तत्पश्चात् बिहार राज्य औषधि नियंत्रण सेवा (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 1989 एवं बिहार औषधि नियत्रण संवर्ग नियमावली, 2014 की छायाप्रति संधारित करते हुए अपेक्षित परामर्श हेतु पुन सचिका सामान्य प्रशासन विभाग को पृष्ठांकित की गयी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा परामर्शित किया गया कि –

(i) क्योंकि श्री कुमार की सेवा सम्पुष्टि की तिथि 13 01.2006 को वर्ष–1989 की नियमावली प्रवृत्त थी, अत उनकी सेवा सम्पुष्टि 1989 की नियमावली, जिसमें सेवा सम्पुष्टि हेतु कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने की विशिष्ट अपेक्षा की पूरा करने का कोई प्रावधान नहीं है, के प्रावधान के आलोक मे दिनांक–13.01 2006 को ही की जानी चाहिए। तदनुसार प्रशासी विभाग को श्री कुमार की सेवा सम्पुष्टि से संबधित अधिसूचना में अपेक्षित संशोधन करना चाहिए।

1200(15A) 98
27/10/2026

(ii) श्री कुमार की सेवा दिनाक–13 01.2006 को सम्पुष्ट किये जाने के फलस्वरूप उन्हे प्रथम एम०ए०सी०पी० 10 वर्षो की सेवा पूरी करने के उपरान्त दिनांक–13 01.2014 से अनुमान्य होगी बशर्ते की उनके द्वारा एम०ए०सी०पी० की स्वीकृति से सबंधित अन्य अर्हताएँ पूरी की जा रही हो।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के उक्त परामर्श के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक– 660(15), दिनाक– 30 08.2024 द्वारा श्री कुमार की सेवा सम्पुष्टि की तिथि संशोधित कर दिनाक– 17.02 2017 के स्थान पर 13 01.2006 के प्रभाव से किया गया।

4. उक्त विभागीय आदेश के आलोक में वित (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्राक–1878(25), दिनांक–04.11 2024 द्वारा पृच्छा/प्रतिवेदित किया गया कि कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा एवं हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्णता के अभाव मे श्री शिव शंकर कुमार का वेतन पूर्जा निर्गत करने के संबंध में विभागीय मतव्य के साथ वांछित अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, जिसपर सम्प्रति विभागीय निर्णय/मतव्य अबतक अप्राप्त है। विदित हो कि श्री कुमार के समकक्षीय अन्य पदाधिकारियो को सेवा अभिलेख का अवलोकन स्वरूप पाया गया कि अन्य पदाधिकारियो को विभागीय परीक्षा, जैसे– हिन्दी, लेखा (पु०र०), लेखा (पु०स०), कोषागार प्रशिक्षण तथा हिन्दी टिप्पण एव प्रारूपण परीक्षा मे उतीर्णता के उपरात नियमित वेतन वृद्धि तथा सेवा सम्पुष्टि की कार्रवाई की जाती रही है। इस संबध में सामान्य प्रशासन विभाग का परामर्श की प्रति एव समीक्षात्मक प्रतिवेदन उपलब्ध करायी जाय।

5 वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1878(25), दिनांक–04 11. 2024 के आलोक में पुन संचिका सामान्य प्रशासन विभाग को पृष्ठाकित की गयी एव कडिका–2 मे अकित बिन्दुओं तथा कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा उतीर्णता/विमुक्ति के बिना श्री कुमार को नियमित वेतन वृद्धि देय होगा अथवा नहीं (यदि देय होगा तो किस तिथि से) के संबंध में अनुरोध किया गया। तदालोक में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा परामर्श अंकित किया गया कि –

" श्री कुमार की सेवा सम्पुष्टि 1989 के नियमावली के प्रावधान के आलोक में सफलतापूर्वक परिवीक्षा अवधि पूरा करने की तिथि से किया जाना नियम सम्मत् होगा अर्थात् सेवा संपुष्टि हेतु श्री कुमार द्वारा 1989 के नियमावली में यथा प्रावधानित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा परन्तु इसके लिए कम्प्यूटर सक्षमता जॉच परीक्षा में उत्तीर्णता की आवश्यकता नहीं होगी।

परन्तु यदि श्री कुमार द्वारा उनके संवर्ग के लिए नई संवर्गीय नियमावली अर्थात् बिहार औषधि नियंत्रण संवर्ग नियमावली, 2014 के प्रवृत होने की तिथि के पूर्व 1989 की नियमावली के प्रावधानों के आलोक में सेवा संपुष्टि की अर्हता प्राप्त नहीं की गयी हो, तब नई नियमावली प्रवृत होने की तिथि 08.10.2014 के उपरांत उनकी सेवा संपुष्टि नई नियमावली में निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण करने पर ही की जा सकेगी। "

सामान्य प्रशासन विभाग के उक्त परामर्शानुसार बिहार औषधि नियत्रण संवर्ग नियमावली, 2014 जो दिनाक–08.10 2014 से प्रवृत है, में निर्धारित अर्हताओ को पूर्ण करने की तिथि के उपरात ही श्री कुमार की सेवा सम्पुष्ट किया जाना है। तदालोक मे विभागीय पत्राक–422(15), दिनांक–26.03 2025 द्वारा श्री कुमार से विभागीय परीक्षा उतीर्णता, कोषागार प्रशिक्षण, हिन्दी टिप्पण एव प्रारूपण तथा कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा उतीर्ण करने अथवा विमुक्त किये जाने सबंधी प्रमाण पत्र की माग की गई।

6. श्री कुमार द्वारा केन्द्रीय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित लेखा (पु०र०), लेखा (पु०स०), हिन्दी परीक्षा से उतीर्णता, कोषागार प्रशिक्षण प्रमाण पत्र तथा सिविल सर्जन कार्यालय बॉका

1200(15A) 98
27/10/2026

के आदेश ज्ञापांक–3668, दिनांक–21.09.2022 द्वारा कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा उत्तीर्णता से विमुक्ति संबधी आदेश की छायाप्रति विभाग में उपलब्ध कराया गया।

उल्लेखनीय है कि सिविल सर्जन कार्यालय का आदेश ज्ञापांक–3668, दिनांक–21 09 2022 को जिसके द्वारा श्री कुमार को कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा से विमुक्ति किया गया था, नियमानुकूल नहीं होने के कारण (क्योंकि सिविल सर्जन सक्षम प्राधिकार नहीं है) विभागीय आदेश ज्ञापांक–933(15), दिनांक–23.08 2023 द्वारा निरस्त कर दिया गया। तत्पश्चात् श्री कुमार के द्वारा विभाग में कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा से विमुक्ति हेतु आवेदन दिया गया जिस पर अग्रेतर कार्रवाई करते हुए सम्यक विचारोपरात विमुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता पूर्ण नही होने के कारण विभागीय आदेश ज्ञापांक–1186(15ए), दिनांक–04.12.2025 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।

7 उक्त घटनाक्रम के उपरांत श्री कुमार द्वारा Administrative Training Institute, Bihar, Patna द्वारा निर्गत कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की छायाप्रति सलग्न करते हुए अनुरोध किया गया कि वह राजपत्रित पदाधिकारी है, उन पर कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा उत्तीर्णता लागू नही है एवं सेवा सम्पुष्टि हो चूका है अत. प्रोन्नति एवं द्वितीय एम०ए०सी०पी० का लाभ की स्वीकृति प्रदान किया जाय।

8. श्री कुमार के आवेदन के साथ संलग्न प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है न कि कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा उतीर्णता प्रमाण पत्र। सामान्य प्रशासन विभाग का पत्राक–22251, दिनाक–12.12.2022 में विभिन्न सेवा/सवर्ग के सरकारी सेवको से सबधित सेवा/सवर्ग नियमावली में विभागीय परीक्षा मे कम्प्यूटर जॉच परीक्षा का प्रावधान निम्नवत् है–

"सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या–1609, दिनांक–24.05.2011 द्वारा अधिसूचित बिहार सरकारी सेवक (सम्पुष्टि के लिए कम्प्यूटर सक्षमता) नियमावली, 2011 में **NIELT** (पूर्व में **DOEACC**) द्वारा कम्प्यूटर सक्षमता जॉच परीक्षा एवं तत्संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किये जाने का प्रावधान किया गया था।

परन्तु सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या–21262, दिनांक–30.11.2022 द्वारा अधिसूचना संख्या–1609, दिनांक–24.05.2011 द्वारा अधिसूचित बिहार सरकारी सेवक (सम्पुष्टि के लिए कम्प्यूटर सक्षमता) नियमावली, 2011 को निरसित करते हुए बिहार सरकारी सेवक (सम्पुष्टि के लिए कम्प्यूटर सक्षमता) नियमावली, 2022 अधिसूचित की गयी है। प्रासंगिक नई नियमावली में अब कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा एव उक्त से संबंधित प्रशिक्षण का आयोजन बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) द्वारा किये जाने का प्रावधान किया गया है जिसके आलोक में बिहार सचिवालय सेवा के सहायक, पर्यवेक्षकीय संवर्ग (कनीय अभियंता सहित) के कर्मी एवं अन्य सेवा/संवर्ग के वैसे कर्मी, जिनकी सेवा/संवर्ग नियमावली में कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उतीर्णता का प्रावधान हो, को बिपार्ड द्वारा संचालित कम्प्यूटर सक्षमता जॉच परीक्षा में उतीर्णता प्राप्त करना आवश्यक है।"

"राजपत्रित/अराजपत्रित सेवा/संवर्ग के लिए जो विषय निर्धारित किये गये हैं उनमें हिन्दी एवं कम्प्यूटर का व्यावहारिक ज्ञान– ये दो विषय लगभग सभी सेवा/संवर्ग के लिए निर्धारित किया गया है। साथ हीं इसमें यह निर्णय भी संसूचित है कि विभागीय परीक्षा में जिनके द्वारा कम्प्यूटर का व्यावहारिक ज्ञान विषय में उतीर्णता प्राप्त कर ली जायेगी उन्हें **NIELT** द्वारा आयोजित कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उतीर्णता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।" अर्थात दिनाक–30.11.2022 के पहले सरकारी सेवको के लिए कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा का आयोजन NIELT (पूर्व मे DOEACC) द्वारा किया जाता था न कि बिपार्ड के द्वारा।

1200(1SA) 28
27/10/2026

उपर्युक्त तथ्यो से स्पष्ट है कि श्री कुमार कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा मे उतीर्ण नही है तथा न हीं हिन्दी टिप्पण एव प्रारूपण परीक्षा उतीर्ण है। बिहार औषधि नियत्रण सवर्ग नियमावली, 2014 के नियम–10 मे प्रावधान है कि **"परीक्ष्यमान अवधि में संतोषजनक सेवा होने, प्रशिक्षण (कोषागार प्रशिक्षण सहित) सफलतापूर्वक पूरा करने और विभागीय परीक्षा उतीर्ण करने पर औषधि निरीक्षकों की सेवा संपुष्टि की जा सकेगी।"** विभागीय परीक्षा के संदर्भ मे नियम–09 मे केन्द्रीय परीक्षा समिति (राजस्व पर्षद) द्वारा आयोजित विहित विभागीय परीक्षा, हिन्दी टिप्पण एव प्रारूपण परीक्षा तथा कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा उत्तीर्णता का उल्लेख है। इस प्रकार बिहार औषधि नियंत्रण संवर्ग नियमावली, 2014 में सेवा सम्पुष्टि संबधी निर्धारित अर्हताएँ श्री शिव शंकर कुमार पूर्ण नही करते है।

9. अतएव विभागीय अधिसूचना सख्या–70(15), दिनाक–29.01.2018 द्वारा श्री कुमार का दिनांक–17 02 2017 से की गयी सेवा सम्पुष्टि की तिथि एवं सेवा सम्पुष्टि की तिथि मे संशोधन संबंधी निर्गत विभागीय आदेश ज्ञापांक– 660(15), दिनांक– 30 08.2024 बिहार औषधि नियंत्रण संवर्ग नियमावली, 2014 मे सेवा सम्पुष्टि हेतु निहित प्रावधान के अनुकूल नहीं होने के कारण निरस्त किया जाता है।

10 प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(सुरेन्द्र राय)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 15/औ०–14–39/2022–12 00(15)/ स्वा० पटना, दिनांक– 27/10/....2026

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य औषधि नियत्रक, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री शिव शकर कुमार, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, बॉका–01 एवं 02 सम्प्रति औषधि निरीक्षक, पटना–06 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।